प्रपत्र–5

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में फटगली–धमोली–मालूझाल–ओखलसों मोटर मार्ग का निर्माण ।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

शासनादेश की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर

संख्या– 2724 / III(2)/15–05(सा)म0घो0)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह इयांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 21 अप्रैल, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 63 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 63 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत **₹ 3726.21 लाख (₹ सैंतीस करोड़ छब्बीस लाख इक्कीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 63 कार्यो हेतु ₹ 6.30 लाख (₹ छः लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मनुअल के निदेशा का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 36/XXVII/(2)/2015 दि0:– 22 अप्रैल, 2015 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः– 2724 /III(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0एस0 मांगती)
उप सचिव

सहायक अभियन्ता
गन्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर 8/1/16

शासनादेश संख्या:- 2724/III(2)/15-05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

(धनराशि लाख रु में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 272/2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत मस्ता से रिणकोट -कालीमठ वैकल्पिक मोटर मार्ग व पुल का निर्माण।	7.00 + 3 No.	71.72	0.10
2	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 278/2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी के अन्तर्गत ग्राम ऐरा (सेरा) के नीचे क्यूंजा गाड पर पैदल पुल का निर्माण कार्य।	30 mt	1.20	0.10
3	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्तमुनि में भण्ज-ग्वाड़-मचकण्डी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.72	0.10
4	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्तमुनि में चन्द्रापुरी-गुगली मोटर मार्ग के ककोला से सेरा-टकरोली मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	18.16	0.10
5	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्तमुनि में नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	18.16	0.10
6	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्तमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.82	0.10
7	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्तमुनि में चयार्क-बरसूडी-भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.84	0.10
8	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्तमुनि में जाबरी-पाटियों-मुनासू-मोली-कलई-फेड़ा- चन्द्रनगर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	44.30	0.10
9	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-817/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-जागेश्वर में अल्मोड़ा-शहरफाटक मोटर मार्ग के गड़पानी से ग्राम बजेठी-ग्वालदलयों अनु. जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5.00	42.58	0.10
10	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-884/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-जागेश्वर के विकास खण्ड [illegible] में [illegible] से [illegible] तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3.00	24.70	0.10

शासनादेश संख्या:- 2724/III(2)/15-05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

11	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-852/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-कपकोट के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के ग्राम ग्वातोली में करीगपुर से ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनी श्री राम दत्त जोशी के गांव को वनलेख मोटर मार्ग से मिलाने हेतु मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	21.78	0.10
12	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-863/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में ग्राम पंचायत जाख में खीरी नामक स्थन पर 40 मी. पैदल लौह सेतु का निर्माण कार्य।	40 mt	5.58	0.10
13	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-803/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में गढ़खेत मोटर मार्ग के स्थान पर सोलिया बजानी से मैजुलिया 5.00 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00 + 1 No	94.75	0.10
14	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-802/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में गल्ला गढ़खेत से तल्ला गढ़खेत तक 4.00 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	75.24	0.10
15	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-862/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में लाहूर नदी में ग्राम पंचायत नैकाना खुमाटिया, कालरी, बैगांव, छानिसेरा व दाड़िमखेत के मध्य झूला पुल का निर्माण कार्य।	70 mt	6.78	0.10
16	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-798/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में ठुकरा से सैलकुना तल्ला गढ़खेत तक 8.00 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00 + 02 Brg	151.88	0.10
17	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-864/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में घाघली नदी में ग्राम मवई, बज्यूला, अमस्यारी, घेटी व भिलकोट के मध्य 80 मी. झूला पुल का निर्माण कार्य।	80 mt	8.98	0.10
18	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-857/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में टिटोली से बूँगा तक 2.00 कि.मी. लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00 + 35 mt	37.62	0.10
19	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-866/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में ग्राम अमसयारी के टिटोली तोक के ग्राम पंचायत बूँगा तक 5.00 कि.मी. मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5.00	94.05	0.10
20	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-863/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में ठुकरा से सैलकुना- गढ़खेत मोटर मार्ग का 15.00 किमी. नवनिर्माण का कार्य।	15.00	282.15	0.10
21	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-804/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में गरूड़ बागेश्वर मोटर मार्ग में स्थान फटगली से धमोली, मालूपाल-ओखल्सों 10.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00	148.50	0.10

शासनादेश संख्या:- 2724/III(2)/15-05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

22	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-854/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में बागेश्वर-ल्हासा (तिब्बत) पैदल को बागेश्वर नगर से लगे भागीरथी गांव से धरमघर तक हल्का वाहन मार्ग के रूप में विकसित करने का कार्य।	50.00	412.50	0.10
23	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-321/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-चौबट्टाखाल के विकास खण्ड पौखड़ा में हलूणी-गयाणा तल्ला-देवलदेव-काण्डई मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	14.00	112.64	0.10
24	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-322/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-चौबट्टाखाल के विकास खण्ड पौखड़ा में धंडियाल- कनोठखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	32.18	0.10
25	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-327/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-चौबट्टाखाल के विकास खण्ड पौखड़ा में चौबट्टाखाल दमदेवल मोटर मार्ग से ग्राम अन्दपुर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.500	20.12	0.10
26	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-109/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट में हरतोला मुख्य मोटर मार्ग से माँ कोकिला देवी मंदिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	17.55	0.10
27	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-110/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट में लोहाली डोडीधूरा मोटर मार्ग रा.इ. का. से अटा.वृत्ता, आटाखेंन, करछिया, पातली से रूपसिंह धूरा मोटर मार्ग कतक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8.00	46.80	0.10
28	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-233/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट में भुजान-बेतालघाट मोटर मार्ग के कि.मी. 1 में कुजगढ़ नदी पर स्टील पुल का निर्माण।	75 mt	8.25	0.10
29	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-100/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल में नैनीताल-घूघूखान सौड़ मोटर मार्ग के किमी0-7 में नरेश्वर गधेरे पर 24 मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य।	24 mt	1.68	0.10
30	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-101/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल में पंगूठ तल्ला बगड़ हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए सुधारीकरण/डामरीकरण का कार्य।	6.00	32.70	0.10
31	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-635/2014 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी में डडोली से डोबा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	7.00	63.79	0.10
32	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 402/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के विकास खण्ड घाट में नन्दप्रयाग-मेहरबगटी-संकड़-धारकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	9.00	125.55	0.10

35(1) की गणना

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर